सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –1568/2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. कैलाशी पत्नि भैरूलाल जाति धाकड निवासी काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर
2. लाली पत्नि शिवराज जाति धाकड निवासी काबरिया तह.केकडी जिला अजमेर
3. धर्मेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्यामसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर

समस्त जाति रेगर निवासीगण पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र मांगीलाल जाति धाकड
2. गोपाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड
3. घासी पुत्र जगदीश जाति धाकड
   समस्त निवासीगण काबरिया तह. केकडी जिला अजमेर
4. रामदेव पुत्र श्री बक्स जाति नाई निवासी बघेरा तहसील केकडी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

राज. काश्त. अधिनियम सपठित धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–18.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सावर में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी के जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 181 के खसरा नम्बर 158 रकबा 3.26 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम दर्ज खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के कब्जे, स्वामित्व एवं आधिपत्य में आ रही है जिसमें अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का वादग्रस्त आराजीयात में कभी भी कोई वास्ता सरोकार न तो रहा है ना वर्तमान में है प्रतिवादीगण आये दिन लडाई झगडा पर आमादा है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की नियत बद है तथा नाजायज व अनाधिकृत रूप से नियम व कानून के विरूद्ध वादवर्णित आराजीयात को कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जिसके कारण वादीगण द्वारा स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली बकाया जवाब व तलबी वास्ते है। पत्रावली केम्प कोर्ट सावर में पेश हुई ।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी के जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 181 के खसरा नम्बर 158 रकबा 3.26 हैक्ट भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 18.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्डअधिकारी
केकड़ी